मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

टिप्पणी एवं आदेश

आयुक्त/अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 17-6-96 को आपकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त सम्मुख आपके अनुमोदनार्थ, प्रस्तुत है।

22/6/96

(हरिश्चन्द्र जोशी)
उपाध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 17-6-96 में अधिकारियों की उपस्थिति :

1-श्री सुभाष कुमार,मण्डलायुक्त/अध्यक्ष	अध्यक्ष
2-श्री हरिश्चन्द्र जोशी,उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0	उपाध्यक्ष
3-श्री बी0सिंह,अधीक्षण अभियंता,जल निगम,देहरादून	सदस्य
4-श्री यशपाल सिंह,अधीक्षण अभियंता,लो0नि0वि0,देहरादून	सदस्य
5-श्री विश्व भूषण गौड,मुख्य वन संरक्षक,गढवाल	सदस्य
6-श्री एस0सी0चन्दोला,महाप्रबन्धक,जि0उ0के0,देहरादून	सदस्य
7-श्री ए0के0द्विवेदी,सहायक निदेशक,पर्यटन, पर्यटन निदेशालय,पर्वतीय क्षेत्र,देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य
8-श्री बृज बी0रतन,सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग,गढवाल सम्भागीय नियोजन खण्ड,देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य

अन्य उपस्थिति :

1-श्री मानवेन्द्र सिंह,परगनाधिकारी,मसूरी

2-श्री श्रवण कुमार निगम,सचिव,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

गत बैठक की कार्यवाही :

सर्व-प्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को गत बैठक दिनांक 9-4-96 की अनुपालन आख्या पढने के निर्देश दिए गए। तद्नुसार सचिव द्वारा गत बैठक की कार्यवृत्ति व अनुपालन आख्या पढी गयी तथा सर्व-सम्मत्ति से उक्त कार्यवृत्त व अनुपालन आख्या की पुष्टि की गयी।

विषय क्रमांक- 01

ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण हेतु प्राधिकरण के विचाराधीन भूमि के प्राप्त प्रस्ताओं के परीक्षण/समीक्षा हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 9-4-96 को गठित समिति की आख्या :-

बैठक में समिति की इस संस्तुति को देखते हुए कि प्रथम स्थल की भूमि जो ग्राम माजरा तथा सेवलाखुर्द की 30.90 एकड भूमि से सम्बन्धित है, के लिए विधिवत् भू-अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है, में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित अधिग्रहण मूल्य तथा अब तक का यदि सभी ब्याज भी मिलाया जाये तब भी वह समिति की आख्यानुसार 10.64 लाख रूपये प्रति एकड पर उपलब्ध होगी जबकि वैकल्पिक रूप में प्रस्तावित भूमि 14.30 लाख रू0 प्रति एकड पर उपलब्ध होगी। इस तरह 3.66 लाख रू0 प्रति एकड मंहगी पडेगी। इस दृष्टिकोण से पूर्व अधिग्रहित भूमि को ही सर्वाधिक उपयुक्त पाए जाने पर सहमति दी गयी । बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि द्वितीय स्थल की जो वैकल्पिक भूमि के सम्बन्ध में पत्राचार हुआ है उस पर वैधानिक पहलुओं का परीक्षण भी करा लिया जाये कि इस हेतु किसी तरह का कोई एग्रीमेण्ट इत्यादि तो नहीं किया गया है जिससे कि बाद में किसी अडचन से बचा जा

--3--

सके। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि भू-अधिग्रहण से सम्बन्धित भूमि को शीघ्र लिए जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर उपाध्यक्ष विचार-विमर्श कर शीघ्र सक्रिय प्रयास करें।

विषय क्रमांक-02

कृषि हरित क्षेत्र में स्कूल स्थापना के लिये न्यूनत मार्गदर्शिका के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 09-4-96 में लिए गए निर्णय के अनुरूप बैठक में कृषि हरित क्षेत्र में स्कूल स्थापना के लिए प्रस्तुत संशोधित मार्गदर्शिका पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से अनुमोदन किया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि भविष्य में उक्त मार्गदर्शिका के प्राविधानों के अनुरूप ही कृषि हरित क्षेत्र में स्कूल भवनों की स्थापना के लिए प्रस्तुत होने वाले मानचित्रों का विस्तृत परीक्षण कराया जाये तथा स्वीकृति से पूर्व उन पर बोर्ड का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाये।

विषय क्रमांक -03

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व अनुज्ञा शुल्क (परिमिट शुल्क) लिए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बैठक को अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सापेक्ष अब तक लिए जा रहे शुल्क में कोई विशेष बढोत्तरी नहीं की जा रही है बल्कि विभिन्न विवादों से बचने के उद्धेश्य से यह प्रस्ताव केवल नाम परिवर्तन का है। बैठक को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त विषय पर गत बोर्ड बैठक दिनांक 9-4-96 में लिए गए निर्णय के अनुरूप

मुरादाबाद/इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से भी परमिट शुल्क लिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षण करा लिया गया है। प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त इसे सर्व-सम्मत्ति से अनुमोदित करते हुए शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी निर्देश दिये कि इस बीच शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की स्वीकृति पर परमिट शुल्क लेना प्रारम्भ कर दिया जाये।

विषय क्रमांक-04

मसूरी महायोजना प्रारूप-2011

प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा के उपरान्त मसूरी की ड्राफ्ट महायोजना सर्व-सम्मत्ति से अनुमोदित करते हुए निर्देश दिए गए कि जन सामान्य को सूचना देने के बाद इस पर आपत्तियां आमंत्रित की जायें तथा इन आपत्तियों के निस्तारण हेतु समिति गठन के लिए शासन से अनुरोध किया जाये। साथ ही यह भी निर्देश हुए कि मसूरी महायोजना-2011 के ड्राफ्ट हेतु जो व्यय नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग की देहरादून ईकाई द्वारा किया जायेगा उसके सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग,गढवाल सम्भाग,देहरादून उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को 15 दिन के अन्दर व्ययानुमान उपलब्ध कराएं। तद्नुसार व्यय का बहन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

592

73

विषय क्रमांक-05

श्री कुनचौक शेम्पा के मानचित्र संख्या-01/88-89 खसरा नम्बर-3(एम)
बन्दोबली सहस्त्रधारा देहरादून की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श, के उपरान्त अनुमोदन प्रदान करते हुए उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को उक्त मानचित्र के निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक-06

डालनवाला आवासीय योजना में स्थित गैस्ट हाऊस को उपाध्यक्ष कैम्प कार्यालय व आवास के लिये उपयोग करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा अपनी डालनवाला आवासीय योजना में निर्मित गेस्ट हाऊस को उपाध्यक्ष कैम्प कार्यालय व आवास के उपयोग में लाने हेतु सर्व-सम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक-07

प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं में आवंटित भवनों/भूखण्डों का निर्धारित अवधि में आवंटी द्वारा भौतिक कब्जा न लिये जाने पर चौकीदार शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण द्वारा अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्र्तगत निर्मित किए गए ऐसे भवन जो आवंटित तो हो चुके हैं परन्तु इसे आवंटियों द्वारा कब्जा न लिए जाने के कारण इन भवनों की चौकीदार हेतु शुल्क बढाने सम्बन्धी प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव

-6-

विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से अनुमोदित किया गया। अध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि प्राधिकरण के अधिकारियों के मध्य निर्मित भवनों के शीघ्र आवंटन हेतु लक्ष्य भी निर्धारित किए जाएं। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि जो व्यक्ति आवंटित भवनों का कब्जा प्राधिकरण की किसी निर्माण सम्बन्धी कमियों के कारण नहीं ले पा रहे हों उनको वार्ता हेतु बुलाकर तथा उनकी आशंकाओं का निवारण कर शीघ्र कब्जा दिए जाने की कार्यवाही भविष्य में सुनिश्चित की जाये।

अन्य विषय क्रमांक-01

विकास प्राधिकरण अपराधों की शमन उपविधि 1996 की माडल उपविधि की अधिसूचना सं0-2460/9-आ-1-96-6 डी0ए0/81 दिनांक 05 अप्रैल,1996 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या-2578/9-आ-1-96-6 डी0ए0 81 दिनांक 3-6-96 के क्रम में संशोधित शमन उपविधि के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। शासन द्वारा प्रेषित संशोधित शमन उपविधि के पृष्ठ सं0-7 के क्रमांक-4 जिसमें सरकारी भूमि सडक के विस्तार हेतु आरक्षित भूमि तथा भूउपयोग के विरूद्ध किसी भी प्रकार के निर्माण को शमन न करने का उल्लेख है, के सम्बन्ध में बैठक में प्रस्तावित किया गया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में शमन हेतु लम्बित प्रकरण जो नगर के वर्तमान निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत महायोजना में प्रस्तावित मार्गो की चौडाई के अन्तर्गत प्रभावित हैं एवं जहां पर वर्तमान में मार्ग के दोनों ओर पुराने निर्मित भवन हैं एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की वर्तमान में उपलब्ध चौडाई के उपरान्त मार्गो को चौडा करने का प्राविधान व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित किए जाने की अधिक सम्भावना नहीं है,ऐसे स्थानों पर शमन की कार्यवाही लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं इस आशय का शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति बन्धक नामा लेकर कि यदि भविष्य में मार्ग की चौडाई हेतु भूमि की

आवश्यकता होगी तो इनके शमनित निर्माण को विपक्षी स्वयं के खर्चे, पर ध्वस्त कर लेगा एवं किसी न्यायालय में इस शमन मानचित्र को प्रतिकूल प्रभाव हेतु प्रस्तुत नहीं करेगा।

उक्त प्रस्तावना पर बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श, हुआ। स्थानीय परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए तथा कतिपय भागों की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा उनको भविष्य में चौडा किए जाने की सम्भावनाओं की व्यावहारिकता न होने के कारण उक्त संशोधित शमन उपविधि 1996 को इस वर्णित संशोधन के साथ सर्व-सम्मत्ति से अंगीकृत करते हुए शासन के अनुमोदनार्थ/निर्देशार्थ, प्रेषित करने के निर्देश हुए।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
उपाध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

(सुभाष कुमार)
मण्डलायुक्त
अध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0,
देहरादून ।